भारत INDIA COURT FEE 10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

(64)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल महोदय ग्वालियर जिला ग्वालियर म0प्र0

राजस्व प्रकरण क्रमांक I/निगरानी/छतरपुर/भू०रा०/2018/01225 सन् 2018

दयाराम तनय बुल्ली उर्फ मुलुआ अहिरवार
निवासी चंदला तहसील चंदला
जिला छतरपुर म0प्र0 ------------ निगरानीकर्ता/उत्तरवादी।

बनाम

मु0 मथुरिया पुत्री गिरधारी पत्नी टेरा अहिरवार
निवासी पठवा मुहाल चंदला तहसील चंदला
जिला छतरपुर म0प्र0 ------------ गैरनिगरानीकर्ता/अपीलार्थी।

निगरानी अंतर्गत 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय लवकुशनगर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 330/अपील/2015-16 मे पारित आदेश दिनांक 27.12.2017 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत

मान्यवर महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता निम्नांकित निगरानी सादर प्रस्तुत करता है :-

1. यह कि भूमि आराजी खसरा नं0 2983/2 , 2986/2 , 3027/2 रकवा क्रमश : 0.065 हे0 , 0.065 हे0 , 0.049 हे0 मौजा चंदला तहसील चंदला जिला छतरपुर म0प्र0 की भूमि निगरानीकर्ता के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि और राजस्व अभिलेखो मे निगरानीकर्ता के नाम दर्ज है । यही विवादित भूमि है।

2. यह कि निगरानीकर्ता के परदादा (ग्रेट ग्रांड फादर) स्व0 भूरा चमार (अहिरवार) थे। भूरा के दो पुत्र अधिनिवा एवं सुनवा थे। अधिनिवा के एक पुत्र बुल्ली उर्फ मुलुवा थे। बुल्ली उर्फ मुलुवा का पुत्र दयाराम अहिरवार निगरानीकर्ता

दयाराम

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/1225

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08/03/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया। उन्हें ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण अभी लंबित है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। विलंब क्षमा करना न्यायालय का विवेकाधिकार है और उसमें तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब कोई गंभीर वैधानिक त्रुटि हो, जबकि इस प्रकरण में ऐसा नहीं है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राहय योग्य न होने से अग्राहय की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	